

27/14/2012-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्रीमति शाइस्ता, पत्नी मोहम्मद शाहीद इकबाल, बंदीरक्षक से प्राप्त आवेदन का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्रीमति शाइस्ता, पत्नी मोहम्मद शाहीद इकबाल से प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु आवेदन पर विचार किया गया । प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि शाहीद इकबाल द्वारा दर्शाई गयी समस्यायें समान्य प्रकृति की हैं जो राज्य पुनर्गठन दिशानिदेशों से आच्छादित नहीं हैं । अतः समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हें उत्तराखंड राज्य में बनाए रखे जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार मोहम्मद शहीद इकबाल, बंदीरक्षक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए बना रहेगा ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L. N. K. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाये ।

26 JUN 2013

o/c

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:-

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढोंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।